संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर–छत्तीसगढ़

''सार्वजनिक सूचना''

किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत बालक देखरेख संबंधी संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के ऐसे सभी स्वैच्छिक/धार्मिक संगठन/यतीम खाना/व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह जो बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अथवा समान प्रयोजन के लिए आवासीय बालक/बालिका देखरेख संस्थाओं का संचालन कर रहे है, उन सभी पक्षकारों को सूचित किया गया था कि इस तरह की संस्था के संचालन के लिए किशोर न्याय (बालक देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के संबंधित विभाग से पंजीयन कराया जाना आवश्यक है ।

ऐसी सभी संस्थाएं/धार्मिक संस्थायें/यतीम खाना/व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जो बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अथवा समान प्रयोजन के लिए आवासीय बालक/बालिका देखरेख संस्थाओं का संचालन कर रहे है, उन सभी पक्षकारों को **सूचना दी जाती है कि वे विज्ञापन प्रसारित होने के 1 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यकम अधिकारी /जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में तथा एक प्रति जिला कलेक्टर को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। अंपजीकृत** संस्था द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने अथवा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत संस्था का संचालन करने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 42 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 42 अनुसार –

''देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों और विधि का उल्लघंन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी संस्था के भारसाधक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को जो धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या रहते है, ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रूपये से अन्यून के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक 30 दिन के विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा।''

उपरोक्त प्रावधानों के तहत गैर पंजीकृत संस्थाऐं जिनके द्वारा देखरेख एवं संरक्षण के लिए बालक/बालिका को रखा गया है ऐसे सभी संस्थायें आवासीय प्रयोजन हेतु अवैध मानी जावेगी तथा संस्थाओं में निवासरत बच्चे पंजीकृत/मानक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए जावेंगे एवं गैर पंजीकृत संस्थाओं/व्यक्ति/समूह के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी ।

पूर्व में जिन संस्थाओं का प्रावधिक पंजीकरण किया गया था वे सभी संस्थायें निर्धारित समयावधि के अंदर स्थायी पंजीकरण हेतु सभी औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन करने वाली संस्थायें वांछित सभी दस्तावेज संबंधित जिला कलेक्टर **एवं जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी** को **विज्ञापन की तिथि से एक माह के भीतर** प्रस्तुत करेंगे। **आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में तथा** http://www.cgstate.gov.in **एवं** http: //www.cgwcd .gov.in **पर उपलब्ध है ।**

(डां. संजय अलंग)
संचालक
संचा. महिला एंव बाल विकास
रायपुर छत्तीसगढ़